न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 1912 / 2004 / बाड़मेर

1. वगता पुत्र राजू
2. हीरा पुत्र राजू
3. पुखराज पुत्र हेमा
4. उदाराम पुत्र हेमा
5. पारसमल पुत्र हेमा
6. बाबू पुत्र लाला
7. उदा पुत्र लाला
8. मंगला पुत्र राजू
9. सकाराम उर्फ सकिया पुत्र गीगा

समस्त जाति सुथारान, निवासीगण मायलावास तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

––अपीलांट्स / प्रतिवादीगण

बनाम

1. हड़मान पुत्र हंजारी
2. बाबू पुत्र हंजारी
3. सूका पुत्री हंजारी

जाति सुथारान, निवासीगण मायलावास तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

––रेस्पोडेन्ट्स / वादीगण

4. सुवा पत्नी हेमा
5. मतरा पत्नी लाला
6. वगता पुत्र लाला
7. लीला पुत्री लाला
8. गटू पुत्री लाला
9. मांगी पत्नी हस्तिया

समस्त जाति सुथारान्, निवासीगण मायलावास तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

10. राजस्थान सरकार

––तरतीबी–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट

रेस्पो0 सं.1 व 2 के अभिभाषक श्री यज्ञदत्त शर्मा के ब्रीफ होल्डर श्री देशबन्धु दाधीच

श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, अभिभाषक रेस्पो0 सं.4 से 9

दिनांक : 20–02–2025

निर्णय

यह अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा प्रकरण संख्या 34 / 2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–03–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2— उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3— अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि वादी/रेस्पो0 सं0 1 लगायत 3 ने एक राजस्व वाद सहायक कलक्टर, बालोतरा के न्यायालय में 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण/अपीलांट्स ने जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वाद के कथनों को अस्वीकार किया एवं विवादग्रस्त भूमि में वादी को कोई स्वत्व अधिकार नहीं होना बताया तथा वाद खारिज किये जोन की प्रार्थना के साथ ही काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा बाबत् राजस्व रिकार्ड में वादी के हुए इन्द्राज को कलमजन कर प्रतिवादीगण को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अभिकथनों के आधार पर कुल 7 तनकीयात कायम की गई एवं तनकी संख्या 4 व 5 को कानूनी तनकी मानते हुए दोनों तनकियों का निर्णय प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के विरूद्ध दिनांक 27—07—87 को किया। तत्पश्चात् दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तनकी संख्या 3 व 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित करते हुए वादी द्वारा वाद साबित नहीं किये जाने के अभाव में अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28—02—2001 द्वारा अस्वीकार कर दिया, साथ ही प्रतिवादीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को भी अस्वीकार कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष अपील पेश की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त अपील को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24—03—2004 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर वादी का वाद डिक्री कर दिया। उनका तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स् से परे जाकर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उनका वाद सिद्ध नहीं किये जाने के बावजूद भी आराजी खसरा नम्बर 144 व 143 में 1/3 हिस्सा का खातेदार मानकर वाद डिक्री किये जाने मे अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है। तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित किया, केवल आराजी खसरा नम्बर 182 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगयात 3 का नाम 1/3 हिस्सा तक दर्ज होने मात्र से तथा अपीलांट्स का काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर दिये जाने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि वादी आराजी खसरा नम्बर 143 व 144 में 1/3 हिस्सा रखता है एवं इस प्रकार अधिकार घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादी को स्वयं को अपना वाद सिद्ध करना था वादी/रेस्पोडेन्ट किसी भी दस्तावेजी सबूतों के आधार पर सिद्ध नहीं कर पाये कि विवादग्रस्त भूमि में लच्छाजी का हक अधिकार रहा हो और लच्छाजी को वादी/रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री करने का अधिकार नहीं था। उनका तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का विवादग्रस्त

भूमि पर कब्जा नहीं होते हुए भी उनको 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित कर साथ ही अपीलांट्स के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है। अपीलांट्स विवादग्रस्त भूमि के एकाकी खातेदार रहे हैं एवं काबिज हैं। अपीलांट्स के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 एक प्रकार से 1/3 हिस्सा का सह–खातेदारी घोषणा करने के साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का कब्जा विवादग्रस्त भूमि पर एक प्रकार से मानकर स्थायी निषेघाज्ञा की अन–एग्जूकेटेवल डिक्री पारित की है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24–03–2004 को निरस्त किया जावे एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–02–2001 की पुष्टि की जावें। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने 2019 (1) RRT 431, 2003 RBJ 46, 2012(1) RLW 234, 1989 RRD 774 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

4– अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने दस्तावेजों का सही तौर पर अवलोकन व परीक्षण नहीं किया। प्रदर्श–6 में सम्वत 2015 से 2017 की गिरदावरी पेश हुई है जिसमें खसरा नं0 143 जो कि कुंआ है में खातेदार को खुद काबिज बताया है। इसी प्रकार प्रदर्श–5 सम्वत 2011–14 की गिरदावरी में खसरा नं0 143 के बाबत् हंजारी पुत्र लच्छा को 1/3 हिस्से का खातेदार कॉलम सं0 6 में दर्शाया है। प्रदर्श–4 सम्वत 2016–17 की खसरा गिरदावरी 2015–17 में कॉलम सं0 37 में वादी का 1/2 हिस्से बाबत् नाम दर्ज है इसके अतिरिक्त कॉलम सं0 6 में गेबा वगैरह अंकित है इसका अर्थ गेबा के साथ अन्य व्यक्ति भी खातेदार है। प्रदर्श–3 खसरा गिरदारी सम्वत 2018–21 में कॉलम सं0 27 में गेबा आदि खातेदार अंकित है एवं कॉलम सं0 37 में वादी हंजारी पुत्र लच्छा अंकित है। प्रदर्श–2 गिरदावरी सम्वत 2019–21 गेबा आदि खातेदार कॉलम सं0 27 में दर्ज है कॉलम सं0 37 में हजारी वल्द लच्छा का नाम दर्ज है जो यह दर्शाता है कि गेबा के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी खातेदार है जिसमें वादी भी एक खातेदार है इसी प्रकार प्रदर्श–7 गिरदावरी सम्वत 2011–14 में गेबा वगैरह अंकित है, जो यह दर्शाता है कि गेबा के साथ–साथ अन्य व्यक्तियों का भी उस पर कब्जा था। इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–03–2004 यथावत रखे जाने योग्य है। हडमान माली के द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में वाद में अंकित कथनों की पुष्टी की है तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में अपने प्रतिवाद के कथनों को सिद्ध नहीं करवा पाये। स्वयं प्रतिवादी के गवाह डी डब्लू–1 शंकरराम पुत्र गीगाजी ने अपने बयानों में यह माना कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श ए–1 में हजारी का काश्त लिखा है जिसको उसने गलत बताया जबकि यहां यह अभिलिखित करना आवश्यक होगा कि जो दस्तावेज प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया वह दस्तावेज

भी यह सिद्ध करते है कि वादग्रस्त आराजी पर हजारी काबिज काश्त था एवं इस आधार पर हजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये जो यह दर्शाता है कि मौखिक साक्ष्य के साथ–साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से भी यह सिद्ध होता है कि हजारी का वादग्रस्त सम्पति में 1/3 हिस्सा था इस आधार पर विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–03–2004 यथावत रखे जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त सम्पति में से खसरा नं0 182 में वादी का 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी ने जो सजरा खानदान पेश किया है उसमें कहीं पर भी लच्छा जी का नाम दर्ज नहीं है वंश पुरूष कुम्पा जी को बताते हुए उसके दो पुत्र रघुनाथ व चंदा जी बताये है एंव रेस्पो0 सं0 1 ता 4 को रघुनाथ के वारिसान एवं रेस्पो0 सं0 5 से 7 व हजारी जिसको लच्छा जी के गोद जाना बताया है चंदा जी के वंशज है यदि कुम्पा के दो पुत्र थे और लच्छा जी का कुम्पा जी से कोई संबंध नहीं था तो खसरा नं0 182 में वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का 1/3 हिस्सा एवं बकाया 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 ता 7 किस प्रकार बनता है यह प्रकट नहीं किया गया जो यह सिद्ध करता है कि खसरा नं0 182 के साथ–साथ खसरा नं0 143 व 144 भी पुश्तेनी सम्पति है इस प्रकार तनकी सं0 1 को वादी पूर्ण रूप से सिद्ध करने में सफल रहा है। इस आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–03–2004 यथावत रखे जाने योग्य है। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के निर्णय दिनांक 24–03–2004 को यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

5– हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली अवलोकन किया गया।

6– प्रश्नगत प्रकरण में सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा ने अपने निर्णय दिनांक 28–02–2001 में तनकीवार विवेचन करते हुए वादी का वाद एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया है।

7– इस निर्णय के विरूद्ध वादीगण ने अपील पेश की जो दर्ज होकर निर्णय दिनांक 24–03–2004 को अपीलांट/वादीगण को आराजी खसरा नंबर 144 रकबा 39 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा नंबर 143 रकबा 13 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 28–02–2001 को निरस्त किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है, इस आशय का निर्णय पारित किया गया है।

8— इस निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील पेश की है जिसका विवरण प्रारम्भ में किया गया है।

9— अपीलांट अधिवक्ता ने अपील के मीमों का समर्थन कर राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को निरस्त करने एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की है।

10— इसके विपरीत वादी/रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को यथावत रखा जावे। इस निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

11— प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई हैं जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. क्या प्रतिवादीगण और स्वर्गीय राजूजी व गीगाजी ने भू—प्रबंध अधिकारियों से मिल कर मौजा महिलावास के खेत खसरा संख्या 182 में वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज करवा दिया है और जाव खसरा संख्या 144 व बेरा खसरा संख्या 143 में वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज नहीं करवाया। इस कारण वादी खसरा संख्या 144 व 143 में 1/3 हिस्से के खातेदार कृषक घोषित करार देने के अधिकार हैं?... वादी

2. आया प्रतिवादीगण ने वादी को तारीख 1—6—1984 को माफिक दावा धमकी दी जिस कारण वादी स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है?..... वादी

3. आया दावा म्याद बाहर है?.....प्रतिवादी

4. आया राजस्थान सरकार कानूनी पक्षकार है और उनके अभाव में दावा काबिल रिजेक्शन है?.....प्रतिवादी

5. आया दावा लाने के पूर्व 80 सीपीसी का नोटिस जरूरी था, उसके अभाव में दावा काबिल रिजेक्शन है?..... प्रतिवादी

6. आया पद संख्या 4 विशेष आपत्ति व काउण्टर क्लेम के वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है?.....प्रतिवादी

7. दादरसी ?

12— तनकी संख्या 1— क्या प्रतिवादीगण और स्वर्गीय राजूजी व गीगाजी ने भू—प्रबंध अधिकारियों से मिल कर मौजा महिलावास के खेत खसरा संख्या 182 में वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज करवा दिया है और जाव खसरा संख्या 144 व बेरा खसरा संख्या 143 में वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज नहीं करवाया। इस कारण वादी

खसरा संख्या 144 व 143 में 1/3 हिस्से के खातेदार कृषक घोषित करार देने के अधिकार हैं?—वादी

13— उक्त तनकी में खसरा गिरदावरी मौजा मोकलसर संवत् 2011 से 2014 प्रदर्श—7 में खसरा नंबर 144 मुकन सिंह वगैरह छुटभाई के नाम दर्ज है जिसमें गीगो वल्द चन्दो, अमरो वल्द रूघनाथो, गेबो वल्द रूघनाथा, भिखोडा वल्द गिरदारी अंकित है। खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2018 प्रदर्श—6 के कॉलम 5 में मुकनसिंह वगैरह खुद काबिज अंकित है। प्रदर्श—5 गिरदावरी सम्वत 2011—14 गै0 मु0 बेरा खसरा नम्बर 143 रकबा 13 बिस्वा में कॉलम सं0 5 में मुकन सिंह आदि अंकित है। परन्तु कॉलम सं0 6 में गेबा, उमरा, पि0 रूघनाथ 1/3, गीगा वल्द चम्पा 1/3 कौम खाती साकिन माइलावास, हजारी पुत्र लच्छा कौम खाती साकिन देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श—4 गिरदावरी ग्राम मोकलसर सं0 2016—17 में गेबा वल्द रूघनाथ अमरा वल्द रूघनाथ 1/2 हंजारी वल्द लच्छा, गीगा वल्द चम्पा 1/2 खातेदार दर्ज है। ये समस्त इन्द्राज गिरदावरी में काश्त के है, न कि जमाबंदी में खातेदार के इस प्रकार काश्त परिवर्तित होती रही है। गिरदावरी रेकर्ड ऑफ राईट नहीं है। गिरदावरी के आधार पर खातेदारी क्लेम नहीं की जा सकती है। जमाबंदी प्रदर्श—1 संवत् 2040 से 43 में खसरा नंबर 143 व 144 वगता, पिरा, मंगला पिता राजू 1/4, हेमा वल्द अमरा 1/4, लाला, हस्तीमल, सकिया पिता गीगा 1/2 दर्ज है। प्रस्तुत साक्ष्य से वादीगण स्वयं को खसरा नंबर 143 व 144 का 1/3 हिस्से का खातेदार सिद्ध करने में असफल रहे हैं। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय में जो सजरा अंकित है। उसके अनुसार हंजारी वादी लच्छा जी के गोद गया था। वह मात्र गोद पिता की सम्पत्ति का ही अधिकारी है। प्राकृतिक पिता की सम्पति में उसका कोई हक नहीं होगा। इस प्रकार राजस्व अपील प्राधिकारी ने गलत रूप से वादीगण को खातेदार घोषित किया है, जो निरस्त योग्य है। अतः तनकी विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

14— तनकी संख्या 2— आया प्रतिवादीगण ने वादी को तारीख 1—6—1984 को माफिक दावा धमकी दी जिस कारण वादी स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है?—वादी

15— जब तनकी सं.1 के अनुसार वादी को अधिकार नहीं प्राप्त होते है एवं तनकी सं.1 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है तो वादी को स्थाई निषेधाज्ञा पाने का भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार यह तनकी भी विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

16— तनकी संख्या 3— आया दावा म्याद बाहर है?—प्रतिवादी

17— अधिकार घोषणा के वाद के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अतः तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

18— तनकी संख्या 4— आया राजस्थान सरकार कानूनी पक्षकार है और उनके अभाव में दावा काबिल रिजेक्शन है?—प्रतिवादी

19— तनकी संख्या 5— आया दावा लाने के पूर्व 80 सीपीसी का नोटिस जरूरी था, उसके अभाव में दावा काबिल रिजेक्शन है?— प्रतिवादी

20— तनकी सं.4 व 5 का पूर्व में निर्णय किया जा चुका है, जो तनकी सं. 4 व 5 का दिनांक 27—07—87 को इन तनकियों का निर्णय वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया। जिसमें माना की जब सरकार से कोई अनुतोष लेना नहीं है तो उसे पक्षकार बनाना भी जरूरी नहीं है न 80 सीपीसी का नोटिस देना जरूरी है।

21— तनकी संख्या 6— आया पद संख्या 4 विशेष आपत्ति व काउण्टर क्लेम के वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है?—प्रतिवादी

22— अधीनस्थ न्यायालय ने वाद व काउण्टर क्लेम दोनों को खारिज किया है साथ ही अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपीलांट ने अपने दावे की अपील की है। काउण्टर क्लेम के विरूद्ध प्रतिवादीगण ने कोई अपील पेश नहीं की है। इससे स्पष्ट आशय है कि उन्होंने अपने काउण्टर क्लेम का अधिकार त्याग दिया है। ऐसी स्थिति में यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

23— तनकी संख्या 7. दादरसी ?

24— उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण लच्छा के गोद चले गये हैं न उनका इस भूमि पर कब्जा है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने बयान को आधार बनाकर जो निर्णय पारित किया है वह सारवान नहीं है। स्वयं हडमान पुत्र हंजारी ने अपने बयान में गोद जाने का उल्लेख किया है। जमाबंदी रिकॉर्ड आफ राईट है। जमाबंदी प्रदर्श—1 संवत् 2040 से 43 में खसरा नंबर 143 व 144 वगता, पीरा, मंगला पिता राजू 1/4, हेमा वल्द अमरा 1/4, लाला, हस्तीमल, सकिया पिता गीगा 1/2 दर्ज है। प्रस्तुत साक्ष्य से वादीगण स्वयं को खसरा नंबर 143 व 144 का 1/3 हिस्से का खातेदार सिद्ध करने में असफल रहे हैं। गिरदावरी से अधिकारों की उत्पत्ति नही होती है। मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपील को डिक्री किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अपील स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय निरस्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पुष्ट किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष